भवन निर्माण विभाग
अ. स. | स. 3. | I.T.-7

15993
उ०/06/26

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञाप सं0–5/बजट (भ0नि0) 5–179/2026 –सा0–........................

सचिव, भवन निर्माण विभाग का गोपनीय कोषांग
30 JUN 2026
बिहार, पटना

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 2026

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिलान्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी का आवास एवं अनुमंडल कार्यालय के जीर्णोद्धार/मरम्मति से संबंधित कार्य के लिए कुल ₹74,97,000/- (चौहत्तर लाख सतानवें हजार रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :– **स्वीकृत।**

यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिलान्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी का आवास एवं अनुमंडल कार्यालय के जीर्णोद्धार/मरम्मति से संबंधित कार्यः–

क्र0	कार्य का नाम	राशि
1	Special repair work of campus development and paver block in the campus of sub-divisional office, Belsand.	**₹14,99,300/-**
2	Special repair work of common toilet beside conference hall at sub-divisional office building at Belsand.	**₹14,99,400/-**
3	Special repair work of toilet block & Kitchen for Guard room and campus development in the campus of SDM residence, Belsand.	**₹14,99,600/-**
4	Special repair work of officer's chamber & toilet for chamber at sub-divisional office building at Dumra.	**₹14,99,200/-**
5	Special repair work of sand filling & paver block at back side in the campus of sub-divisional office Sitamarhi sadar.	**₹14,99,500/-**
	Total	**₹74,97,000/-**

₹74,97,000/- (चौहत्तर लाख सतानवें हजार रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं0 12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी जाती है।

2. इस राशि के व्यय का विकलन बजट शीर्ष 2059–लोक निर्माण कार्य –01–कार्यालय भवन–053–रखरखाव तथा मरम्मत–0034–सामान्य प्रशासन विभाग के अधीनस्थ भवनों का अनुरक्षण और मरम्मत के अन्तर्गत–27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत विषय शीर्ष, विपत्र कोड 03–2059010530034 मांग संख्या–03 के अन्तर्गत होगा।

3. राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार से करेंगे।

4. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता के अद्यतन संशोधित नियमावली एवं बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2005 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नही माना जाय। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत निर्धारित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.98 में निहित निदेश एवं बंधेज तथा एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्र के आलोक में की जायेगी।

7. यह राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत है।

8. राशि के व्यय विवरणी यथाशीघ्र भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायगी।

9. इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 5552 दिनांक 17.06.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दी गयी है।

5944
30.6.26

ITM

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–5/बजट (भ0नि0) 5–179/2026 –सा0–11305/पटना–15 दिनांक 24.06.26

प्रतिलिपिः– सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/बजट सलाहकार, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/6/26
सरकार के अपर सचिव